न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 93 / 2017
प्रविष्टि दिनांक 25.09.2017

ग्राम सेवा सहकारी समिति लावा तहसील मालपुरा जरिये व्यवस्थापक सत्यनारायण चौधरी

अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी टोंक राजस्थान।

रेस्पो0

अपील विरूद आदेश दिनांक 28.08.2017 जिला रसद अधिकारी टोंक

उपस्थिति:–

1. श्री श्याम सुन्दर विजय अभिभाषक –अपीलान्ट
2. पेराकार सरकार –रेस्पाडेन्ट

निर्णय दिनांक **08.11.2017**

अपील अपीलान्ट सांराश में इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक ने आदेश दिनांक 28.08.2017 से ग्राम सेवा सहकारी समिति लावा तहसील मालपुरा जरिये व्यवस्थापक सत्यनारायण चौधरी का प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने पर उक्त आदेश से अपीलान्ट व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई।

हमने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 28.08.2017 को अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। प्रर्वतक निरीक्षक के बयान उक्त प्रकरण मे लेखबद्व नही हुए है और न ही प्रर्वतक निरीक्षक से जिरह करने का अवसर प्रदान किया गया है। राजस्थान खाघान एंव अन्य आवश्यक प्रदार्थ(वितरण का विनियमन)आदेश 1976 की धारा 8 (2) व 9 दण्डात्मक धारा है,उक्त दण्डात्मक धाराओ मे अपराध को साबित करने के लिए सन्देह से परे साक्ष्य पेश होनी चाहिए थी जो पेश नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा नियमानुसार खाद्य सामग्री का वितरण किया गया है जो राशन कार्ड व स्टॉक वेरीफिकेशन से पूर्णतया साबित है।।अपीलांट द्वारा भूरालाल को दिनांक 21.01.2017 को केरोसीन 2.5 लीटर दिया गया व इसी की राशि उससे प्राप्त की गई व राशनकार्ड मे इतना ही इन्द्राज किया गया था।सरकार द्वारा प्रदत्त पोश मशीन द्वारा पूर्व के इन्द्राज सहित 7.5 लीटर का केरोसीन की रसीद निकाली गई थी, जो की उक्त पोश मशीन की तकनीकी त्रटि है। अपीलाण्ट द्वारा किसी भी आदेश की शर्तो का उल्लधंन नही किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया जिसे निरस्त किया जावे।

जिला कलेक्टर
टोंक

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस में कथन किया कि दिनांक 06.07.2017 को शिकायत की जांच करने पर उपभोक्ता श्री भूरालाल पुत्र श्री गणेश जाति जाट निवासी लावा तहसील मालपुरा को दिनांक 21.01.2017 को ऑललाईन 7.5 लीटर केरोसीन का वितरण अंकन होने पर भी 2.5 लीटर केरोसीन तेल का राशन कार्ड संख्या 200000378619 मे वितरण किया गया है,जबकि पोश मशीन द्वारा 7.5 लीटर केरोसीन तेल का वितरण दर्ज है तथा स्टॉक रजिस्टर मे भी 7.5 लीटर केरोसीन तेल का वितरण दर्शाया गया है। इस प्रकार 5 लीटर केरोसीन तेल का फर्जी वितरण का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर मे कर गबन किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लधंन करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। ग्राम सेवा सहकारी समिति लावा तहसील मालपुरा जरिये व्यवस्थापक सत्यनारायण चौधरी की शिकायत की दिनांक 06.07.2017 को जांच करने पर उपभोक्ता श्री भूरालाल को दिनांक 21.01.2017 को पोश मशीन द्वारा 7.5 लीटर केरोसीन का वितरण किया गया है,जबकि उपभोक्ता के राशनकार्ड मे 2.5 लीटर केरोसीन तेल का इन्द्राज किया गया है तथा स्टॉक रजिस्टर मे भी 7.5 लीटर केरोसीन तेल का वितरण दर्शाया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा 5 लीटर केरोसीन तेल का वितरण न कर फर्जी इन्द्राज कर गबन किया जाना सिद्व है। जिला रसद अधिकारी टोंक को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब मे स्वीकार किया है कि उपभोक्ता को 2.5 लीटर केरोसीन तेल का वितरण किया गया है और इतना ही राशन कार्ड मे इन्द्राज किया गया है। पोश मशीन की वजह से ऑन लाईन 7.5 लीटर केरोसीन का वितरण का अंकन है। उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है के अपीलाण्ट द्वारा 5 लीटर केरोसीन तेल का गबन कर अनियमितता की गई है। जिला रसद अधिकार टोंक ने अपीलाण्ट द्वारा राज0 खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा–3,6 व 20 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,11,15,17 (ग) व 18 का उल्लधंन होने के कारण प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया। उक्त आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 28.08.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.11..2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

सत्यमेव जयते